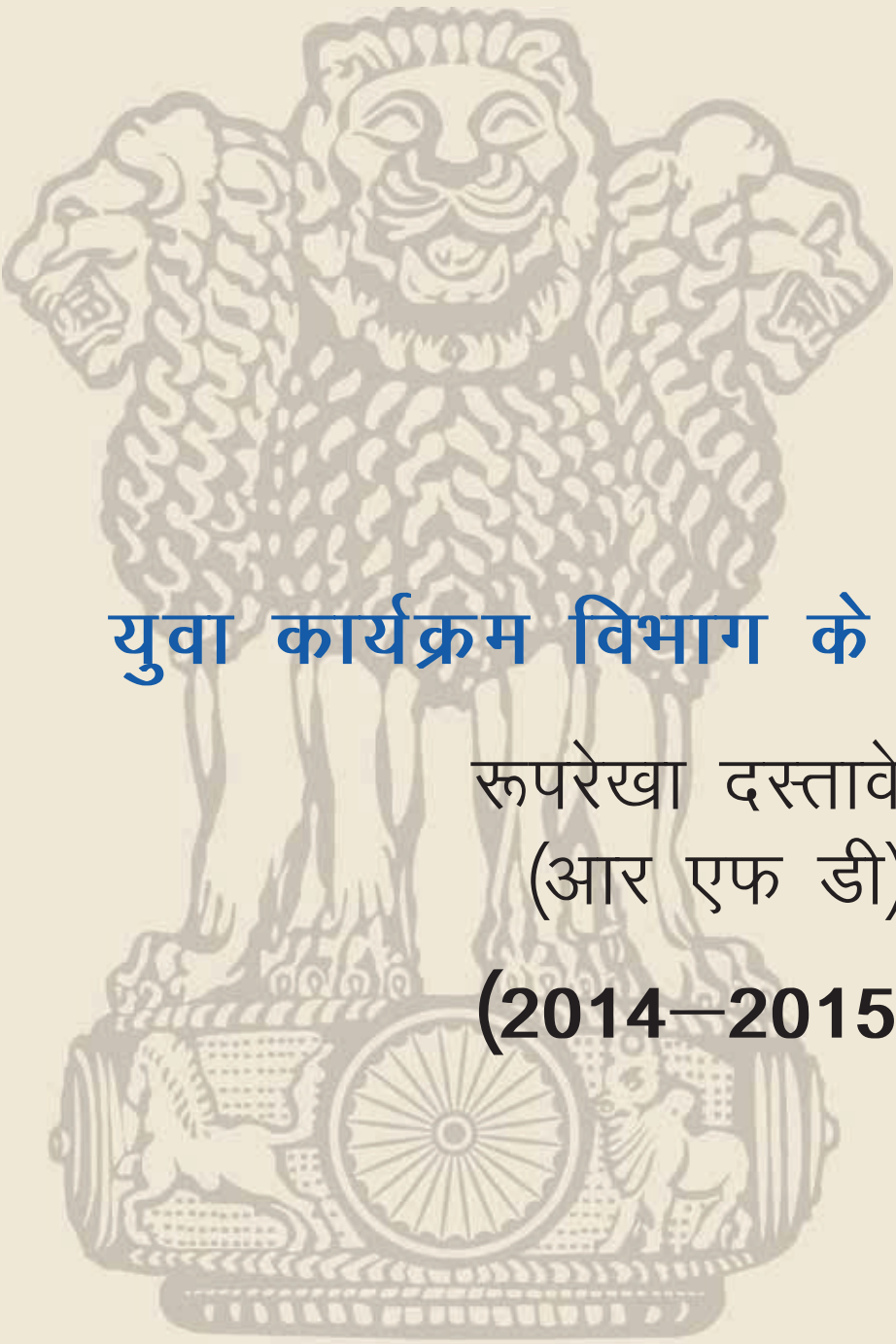




युवा कार्यक्रम विभाग के लिए परिणाम

रूपरेखा दस्तावेज
(आर एफ डी)
(2014–2015)

सत्यमेव जयते





युवा कार्यक्रम विभाग के लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज(आरएफडी)–(2014–2015)

खंड 1

विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्य

विजन

युवाओं का विकास और सशक्तिकरण जिससे वे अपनी पूर्ण संभाव्यता को प्राप्त करने में सक्षम हों और उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्यकलापों में भागीदार बनाना ।

मिशन

युवाओं में अच्छी नागरिकता और स्वयंसेविता के गुणों का विकास करना । युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण का विकास । पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, अन्य कठिन और पिछड़े क्षेत्रों तथा जोखिम सम्भावित युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं के लिए रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना ।

उद्देश्य

1. युवा छात्रों के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण का विकास
2. युवा विकास और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना
3. युवाओं के लिए रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना
4. प्रशिक्षण और अनुसंधान द्वारा युवा विकास
5. युवा भ्रमण और युवाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना
6. युवाओं में अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना
7. युवाओं में साहस को बढ़ावा देना
8. अन्य मंत्रालयों / विभागों के साथ समाभिरूपता द्वारा युवा विकास

कार्य

1. राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय सेवा योजना स्कीम (एनएसएस) को कार्यान्वित करना ।
2. नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और इसके कार्यक्रमों का संचालन और निगरानी करना ।
3. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) का संचालन और वित्त पोषण तथा इसके कार्यक्रमों की निगरानी करना ।
4. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) को कार्यान्वित करना ।
5. राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्कीम को कार्यान्वित करना ।
6. युवा भ्रमण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा हॉस्टलों के कार्यकरण में सुधार करना ।
7. अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी करना और युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करना ।
8. युवा महोत्सवों का आयोजन करना ।
9. युवाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देना और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करना ।
10. स्काउट व गाइड कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना ।
11. अन्य विभागों के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उनके साथ समन्वय की संभावनाओं का पता लगाना ।

$e_l; m_l'; k_l \quad 1Qyr_k \quad 1pdk_k \quad v^{kj}_l \quad y\};_k \quad d_{clp} \quad ijLij \quad ikFfedrk,$

mī' ;	eglo	dljoh	1Qyri 1pd	bdib	eglo	y{:@elin.M el;				
						ml="V	cgr vPNt	vPNt	vdlr	ljic
						100%	90%	80%	70%	60%
(1) युवा छात्रों के व्यक्तिगत और नेतृत्व गुण का विकास	18.00	(1.1) राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के नियमित कार्यक्रम	(1.1.1) स्वयंसेवकों का 120 घंटे कार्य करना	संख्या	6.00	3400000	3255000	3100000	2800000	2500000
			(1.1.2) स्व-वित्त पोषित इकाईयों (एफएसयू) के माध्यम से स्वयंसेवक	संख्या	2.00	275000	250000	225000	200000	175000
			(1.1.3) अपनाए गए गांवों/ स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन	शिविरों की संख्या	6.00	14000	13600	13200	12800	12400
			(1.2.1) ईटीआई में प्रशिक्षण	प्रशिक्षित पीओ की संख्या	4.00	5500	5000	4500	4000	3500
			(1.2) राष्ट्रीय सेवा योजना कर्मियों का क्षमता निर्माण		3.00	100	90	80	70	60
(2) युवा विकास और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना	17.00	(2.1) राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्वयंसेवकों का भर्ती प्रशिक्षण	(2.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों को भर्ती प्रशिक्षण देना	प्रतिशत						
			(2.2.1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	3.00	1800	1620	1460	1280	1100
			(2.2.2) युवा नेतृत्व और समुदाय विकास पर प्रशिक्षण	कार्यक्रमों की संख्या	3.00	2000	1800	1600	1400	1200
			(2.2.3) विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	3.00	2900	2800	2700	2600	2500
			(2.2.4) किशोर युवाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा	युवाओं की संख्या	2.00	900	800	700	600	500
			(2.2.5) युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	युवा क्लबों की संख्या	200	19000	18000	17000	16000	15000

[कृम 2

एल; मी; ;क] 1Qyrk 1pdk vkj y{;k d chp ijLij ikFfedrk,

मी; ;	egho	dijothb	1Qyrk 1pd	bdkb	egho	y{;@ein.M eY;				ljk
						ml-V	cgr vPNi	vPNi	vkIr	
		(2.3) उत्कृष्ट युवा क्लबों को मान्यता प्रदान करना	(2.3.1) उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कारों का वितरण	युवा क्लबों की संख्या	1.00	100%	90%	80%	70%	60%
(3) युवाओं के लिए रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना	15.00	(3.1) कौशल विकास प्रशिक्षण	(3.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों का कौशल विकास	संख्या	2.00	6000	5400	4800	4200	3600
			(3.1.2) एनसीवीटी और अन्य एजेंसियों के सहयोग से युवा क्लब सदस्यों का कौशल विकास हमदबपमे	संख्या	2.00	6000	5000	4000	3000	2000
			(3.2.1) महिलाओं का कौशल उन्नयन	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	3.00	84000	82000	80000	78000	76000
		(3.2) कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	(3.2.2) पुरुषों का कौशल उन्नयन	संख्या	2.00	12000	10000	8000	6000	4000
			(3.3.1) युवाओं का कौशल विकास	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	2.00	4300	4200	4100	4000	3900
		(3.4) ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी सह विपणन	(3.4.1) आयोजित किए गए युवा कृति	प्रदर्शनियों और उत्सवों की संख्या	2.00	500	450	400	350	300
		(3.5) एसयूटीपी का मूल्यांकन	(3.5.1) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संशोधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देना	तारीख	2.00	01/11/2014	01/12/2014	01/01/2015	01/02/2015	01/03/2015

;ok dk;Øe folkkx

[kM 2

e[; mĭ';k] 1Qyrk 1pdk vĭj y{;k d ĉp ijLij ikFfedrk,

मौ' ;	eglo	dljohb	1Qyri lpd	bdlb	eglo	yf;@elin.M eY;				
						ml-"V	cgr vPNk	vPNk	vI'lr	l'jhc
						100%	90%	80%	70%	60%
(4) प्रशिक्षण और अनुसंधान द्वारा युवा विकास	12.00	(4.1) युवा विकास पर आरजीएनआईवाईडी के शैक्षणिक कार्यक्रम	(4.1.1) उपलब्ध सीटों का उपयोग	प्रतिशत	4.00	70	65	60	55	50
			(4.1.2) प्रत्यायन प्राप्त करना (एनएएसी)	तारीख	2.00	30/01/2015	28/02/2015	07/03/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(4.2) आरजीएनआईवाईडी द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)	(4.2.1) प्रशिक्षित किए गए संबल व्यक्ति	संख्या	3.00	1500	1400	1300	1200	1100
(5) युवा भ्रमण और युवाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना	7.00	(4.3) आरजीएनआईवाईडी द्वारा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन: क्षमता निर्माण / मांग आधारित कार्यक्रम	(4.3.1) प्रशिक्षित कार्मिक	संख्या	3.00	4500	4000	3500	3000	2500
		(5.1) पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों (एनआईसी) का आयोजन	(5.1.1) आयोजित किए गए शिविर	संख्या	2.00	120	100	80	70	60
		(5.2) जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम	(5.2.1) आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम	संख्या	2.00	550	500	450	400	350
		(5.3) जिला युवा सम्मेलन	(5.3.1) आयोजित किए गए सम्मेलन	संख्या	2.00	550	500	450	400	350
		(5.4) इस उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रमों का प्रभाव / गुणता मूल्यांकन	(5.4.1) आयोजित की गई राष्ट्रीय कार्यशालाएं	संख्या	1.00	8	7	6	5	4
(6) युवाओं में अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना	6.00	(6.1) अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का कार्यान्वयन	(6.1.1) आदान-प्रदान दोरे (मेजना और मेजबानी)	दौरों की संख्या	5.00	9	8	7	6	5
		(6.2) अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन	(6.2.1) आयोजित की गई कार्यशालाएं	तारीख	1.00	30/09/2014	15/10/2014	31/10/2014	15/11/2014	30/11/2014
(7) युवाओं में साहस को बढ़ावा देना	5.00	(7.1) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा साहस कार्यक्रमों का आयोजन	(7.1.1) साहस कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी	संख्या	5.00	2200	2000	1800	1600	1400

[कम 2

एल; मी';क 1Qyrk 1pdk vkj y{;k d cp ijLij ikFfedrk,

मी';	eglo	dijolh	1Qyrk 1pd	bdib	eglo	y{;@etin.M eY;				
						ml-"V	cgr vPNI	vPNI	vlr	[ijc
(8) अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ समामिरूपता द्वारा युवा विकास	5.00	(8.1) जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (गृह मंत्रालय) (8.2) किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना (एएनएफपीए)	(8.1.1) प्रतिभागी (8.2.1) स्कूल छोड़ चुके वे किशोर जिन्हें चयनित दलाकों में शामिल किया गया	संख्या	3.00	100%	90%	80%	70%	60%
						1400	1200	1000	840	720
* आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण	3.00	आरएफडी मसौदा 2015-16 को अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुत करना 2013-14 के परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना समय पर प्रस्तुत करना	संख्या	2.00	55000	50000	45000	40000	35000
						05/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015
* मंत्रालय/ विभाग में पारदर्शिता सेवा निष्पादन में सुधार	3.00	नागरिक/क्लाईन्ट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन के स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण से सेटिंग शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की मात्रा जीआरएम के कार्यान्वयन की सफलता	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80
						01/05/2014	02/05/2014	03/05/2014	06/05/2014	07/05/2014
* प्रशासनिक सुधार	8.00	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना मंत्राचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित न्यूनीकरण कार्यनीतियों (एमएससी) के उन मुख्य बिन्दुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	तारीख तारीख तारीख कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	90	80	70	60
						01/11/2014	02/11/2014	03/11/2014	04/11/2014	05/11/2014

;ok dk;Øe folkkx

[M 2
e[; mī';k] 1Qyrk 1pdk v{kj y{;k d c{p ijLij ikFfedrk,

mī' ;	eglo	djioib	1Qyrk 1pd	bdib	eglo	y{:@ein.M e[;				
						ml-"V	cgr vPNk	vPNk	vtlr	[ijc
						100%	90%	80%	70%	60%
		आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80
		आरएफएमएस में आरएफडी के साथ रिसपन्सिबिलिटी केंद्रों का प्रतिशत	सम्मिलित किए गए रिसपन्सिबिलिटी केंद्र	प्रतिशत	1.0	100	95	90	85	80
		अनुमोदित नई कार्य योजनाओं (आईएपीएस) के उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	90	80	70	60
*वित्तीय उत्तरदायित्व रूपरेखा से बेहतर अनुपालन	1.00	कैग के लेखा परीक्षा पैरामों पर एटीएन समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (चार माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (छह माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत कैग रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैरामों पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60

[km 3 1Qyrk 1pdk d ioſſk eY;

mſ';	dijotb	1Qyrk 1pd	bdtb	oLrfod eY; foſſk; o"ſk 12@13	oLrfod eY; foſſk; o"ſk 13@14	yſſr eY; foſſk; o"ſk 14@15	vuelfur eY; foſſk; o"ſk 15@16	vuelfur eY; foſſk; o"ſk 16@17
(1) युवा छात्रों के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण का विकास	(1.1) राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के नियमित कार्यक्रम	(1.1.1) स्वयंसेवकों द्वारा 120 घंटे कार्य करना	संख्या	3235000	3255000	3255000	3300000	3350000
		(1.1.2) स्व-वित्त पोषित इकाईयों के माध्यम से स्वयंसेवक	संख्या	107200	166100	250000	255000	260000
		(1.1.3) अपनाए गए गांवों / स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन करना	शिविरों की संख्या	13500	13600	13600	13800	13900
		(1.2) राष्ट्रीय सेवा योजना कर्मियों का क्षमता निर्माण	प्रशिक्षित पीओ की संख्या	4600	4700	5000	5100	5200
		(2.1) राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) कर्मियों का भर्ती प्रशिक्षण	प्रतिशत	100	95	90	90	90
(2) युवा विकास और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना	(2.2) युवा विकास को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम	(2.2.1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	—	1500	1620	1700	1800
		(2.2.2) युवा नेतृत्व और समुदाय विकास पर प्रशिक्षण	कार्यक्रमों की संख्या	—	1800	1800	1850	1900
		(2.2.3) विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	—	2500	2800	2850	2900
		(2.2.4) किशोर युवाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा	युवाओं की संख्या	1220	—	800	850	900
		(2.2.5) युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	युवाओं की संख्या	15000	16000	18000	18500	19000

Table 3 1Qyrk 1pdk d ioſſk eY;

mŀ';	dijotb	1Qyrk 1pd	bdkb	okLrfod eY; foſſk; o"ſk 12@13	okLrfod eY; foſſk; o"ſk 13@14	yſſur eY; foſſk; o"ſk 14@15	vueſfur eY; foſſk; o"ſk 15@16	vueſfur eY; foſſk; o"ſk 16@17
(3) युवाओं के लिए रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना	(2.3) उत्कृष्ट युवा क्लबों को मान्यता प्रदान करना	(2.3.1) उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कारों का वितरण	युवा क्लबों की संख्या	333	453	500	525	550
	(3.1) कौशल विकास प्रशिक्षण	(3.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों का कौशल विकास	संख्या	4700	5700	5400	6000	6000
		(3.1.2) एनसीवीटी और अन्य एजेंसियों के सहयोग से युवा क्लब सदस्यों का कौशल विकास	संख्या	3575	4750	5000	5500	6000
		(3.2) कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	80000	81000	82000	82500	83000
	(3.3) युवाओं के लिए आरजीएनआईवाईडी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण	(3.3.1) युवाओं का कौशल विकास	संख्या	—	—	10000	10500	11000
(3.4) ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी सह विपणन	(3.4.1) आयोजित किए गए युवा कृति	(3.4.1) आयोजित किए गए युवा कृति	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	6447	4040	4200	4300	4400
		(3.4.1) आयोजित किए गए युवा कृति	प्रदर्शनियों और उत्सवों की संख्या	28	32	450	475	500
	(3.5) एसयूटीपी का मूल्यांकन	(3.5.1) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संशोधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देना	तारीख	—	—	01 / 12 / 2014	—	—

Table 3 1Qyrk 1pdk d ioſſk eſ;

mſ';	dijotb	1Qyrk 1pd	bdkb	oLrfod eſ; foſſk; oſſk 12@13	oLrfod eſ; foſſk; oſſk 13@14	yſſr eſ; foſſk; oſſk 14@15	vuelfur eſ; foſſk; oſſk 15@16	vuelfur eſ; foſſk; oſſk 16@17
(4) Prſhikſhण और अनुसंधान ह ारा युवा विकास	(4.1) युवा विकास पर आरजीएनआईवाईडी के शैक्षणिक कार्यक्रम	(4.1.1) उपलब्ध सीटों का उपयोग	प्रतिशत	58.5	48.75	65	70	75
		(4.1.2) प्रत्यायन प्राप्त करना (एनएएसी)	तारीख	—	—	28 / 02 / 2015	—	—
	(4.2) आरजीएनआईवाईडी द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)	(4.2.1) प्रशिक्षित किए गए संबल व्यक्ति	संख्या	1300	1300	1400	1500	1500
(5) युवा भ्रमण और युवाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना	(4.3) आरजीएनआईवाईडी द्वारा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन: क्षमता निर्माण / मांग आधारित कार्यक्रम	(4.3.1) प्रशिक्षित कार्मिक	संख्या	3581	3390	4000	4100	4200
	(5.1) पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों (एनआईसी) का आयोजन	(5.1.1) आयोजित किए गए शिविर	संख्या	100	100	100	100	100
	(5.2) जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम	(5.2.1) आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम	संख्या	500	428	500	525	550
	(5.3) जिला युवा सम्मेलन	(5.3.1) आयोजित किए गए सम्मेलन	संख्या	500	500	500	525	550
	(5.4) इस उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रमों का प्रभाव / गुणता मूल्यांकन	(5.4.1) आयोजित की गई राष्ट्रीय कार्यशालाएँ	संख्या	6	7	7	8	8
(6) युवाओं में अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना	(6.1) अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का कार्यान्वयन	(6.1.1) आदान-प्रदान दौरे (भोजना और मेजबानी)	दौरों की संख्या	8	8	8	9	9

Table 3
1Qyrk 1pdk d ioſſk eſ;

ml';	dijotb	1Qyrk 1pd	bdtb	okLrfod eſ; foſſk; o"ſ 12@13	okLrfod eſ; foſſk; o"ſ 13@14	yſſr eſ; foſſk; o"ſ 14@15	vuelfur eſ; foſſk; o"ſ 15@16	vuelfur eſ; foſſk; o"ſ 16@17
	(6.2) अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन	(6.2.1) आयोजित की गई कार्यशालाएं	तारीख	31 / 08 / 2012	25 / 09 / 2013	15 / 10 / 2014	30 / 09 / 2015	30 / 09 / 2016
(7) युवाओं में साहस को बढ़ावा देना	(7.1) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा साहस कार्यकलाप	(7.1.1) साहस कार्यकलापों में युवाओं की भागीदारी	संख्या	2000	2000	2000	2000	2000
(8) अन्य मंत्रालयों / विभागों के साथ समभिरूपता द्वारा युवा विकास	(8.1) जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (गृह मंत्रालय)	(8.1.1) प्रतिभागी	संख्या	1000	1200	1200	1200	1200
	(8.2) किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना (यूएनएफपीए)	(8.2.1) स्कूल छोड़ चुके वे किशोर जिन्हें चयनित ब्लाकों में शामिल किया गया	संख्या	67000	—	50000	50000	50000
*आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण	आरएफडी मसौदा 2015-16 को अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	—	—	06 / 03 / 2015	—	—
	2013-14 के परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	—	—	02 / 05 / 2014	—	—
*मंत्रालय / विभाग में पारदर्शिता / सेवा निष्पादन में सुधार	नागरिक /क्लाईन्ट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन के स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण से सेटिंग	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की मात्रा	प्रतिशत	—	—	95	—	—
	शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	जीआरएम के कार्यान्वयन की सफलता	प्रतिशत	—	—	95	—	—

Table 3 **1Qyrk 1pdk d ioſſk eſ;**

mſ' ;	dſjotb	1Qyrk 1pd	bdkb	okLrfod eſ; foſſk; oſk 12@13	okLrfod eſ; foſſk; oſk 13@14	yſſſr eſ; foſſk; oſk 14@15	vuelfur eſ; foſſk; oſk 15@16	vuelfur eſ; foſſk; oſk 16@17
*प्रशासनिक सुधार	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित न्यूनीकरण कार्यनीतियों (एमएससी) के उन मुख्य बिन्दुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो आरएफएमएस में आरएफडी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्रों का प्रतिशत	तारीख कार्यान्वयन का प्रतिशत	तारीख प्रतिशत	— — — —	— — — —	02 / 11 / 2014 90 95 95	— — — —	— — — —
*वित्तीय उत्तरदायित्व रूपरेखा से बेहतर अनुपालन	कैग के लेखा परीक्षा पैराओं पर एटीएन समय पर प्रस्तुत करना पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (चार माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (छह माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत प्रतिशत	— —	— —	90 90	— —	— —

Table 3 1Qyrk 1pdk d ioſſk eſ;

mſ' ;	dſjoiſb	1Qyrk 1pd	bdſib	okLrfod eſ; foſſk; o"ſk 12@13	okLrfod eſ; foſſk; o"ſk 13@14	yſſſr eſ; foſſk; o"ſk 14@15	vueſfur eſ; foſſk; o"ſk 15@16	vueſfur eſ; foſſk; o"ſk 16@17
	31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत किए रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैराओं पर संबंधित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	—	—	90	—	—
	31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर संबंधित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	—	—	90	—	—

[M 4 1f4rk4j

Ø-1-	1f4rk4j	fooj.k
1	एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
2	इटीआई	एम्पैनल्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
3	केवीके	कृषि विज्ञान केंद्र
4	एनएएसी	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
5	एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
6	एनई	पूर्वोत्तर
7	एनआईसी	राष्ट्रीय एकीकरण शिविर
8	एनपीवाईएडी	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम
9	एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
10	एनवाईसी	राष्ट्रीय युवा कोर
11	एनवाईकेएस	नेहरू युवा केंद्र संगठन
12	पीओ	कार्यक्रम अधिकारी

[M 4 1fjkrkj

Ø1-	1fjkrkj	fooj.k
13	आरजीएनआईआईडी	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
14	एसएफयू	स्व वित्त पोषित इकाई
15	एसयूटीपी	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम
16	यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
17	यूएनएफपीए	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि
18	वीओएल	स्वयंसेवक
19	वाईसी	युवा क्लब

[कृम 4

1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrfor ekunM i)fr

Ø-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	1kell; Wif.k;k
1	(1.1.1) स्वयंसेवकों द्वारा 120 घंटे कार्य करना	प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक द्वारा लगातार दो वर्षों तक प्रतिवर्ष 120 घंटे कार्य करना आवश्यक है जिसमें एनएसएस से संबंधित सामान्य अभिविन्यास और उनकी स्वयंसेविता के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं ।	एनएसएस यूनिट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और कालेजों/ विश्वविद्यालयों में खोली गई हैं। प्रत्येक एनएसएस यूनिट में सामान्यतः 100 स्वयंसेवक होते हैं ।	नामांकित एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या	
2	(2.1.1) स्व वित्त पोषित इकाईयों (एसएफयू) के माध्यम से स्वयंसेवक	एनएसएस की स्व वित्त पोषित इकाईयां वे इकाईयां हैं जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था ऐसी इकाईयां खोलने/ स्थापित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों द्वारा की जाती हैं। इन इकाईयों को सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता। तथापि, वित्तपोषण के अतिरिक्त ये इकाईयां अन्य सभी पक्षों में एनएसएस की संपूर्ण इकाईयों के रूप में ही कार्य करती हैं।	एसएफयू की पद्धति आरंभ की गई है ताकि सरकार से वित्त पोषण के अभाव में एनएसएस कार्यक्रम का विस्तार प्रभावित न हो	एसएफयू के तहत नामांकित एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या	2014-15 से यह नया सफलता सूचक सम्मिलित किया गया है।
3	(3.1.1) अपनाए गए गांवों/स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन	प्रत्येक एनएसएस यूनिट एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, पौधारोपण, साक्षरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक/ ऐतिहासिक विरासत, आंकड़ों के संकलन आदि स्वयंसेविता संबंधी कार्यों के लिए एक गांव/स्लम अपनाती है। प्रत्येक एनएसएस यूनिट अपनाए गए गांव/स्लम में प्रति वर्ष विशेष शिविर आयोजित करती है जिसमें यूनिट के 50 स्वयंसेवक सहभागिता करते हैं।	एनएसएस कार्यक्रमों के संचालन के लिए गांवों का चयन किया जाता है विशेष शिविर 7 दिन के अवधि के होते हैं और कार्यक्रमों स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।	शिविरों की संख्या	

[kM 4 1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"rk rFkk iLrfor ekunM i)fr

Ø-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"rk	ekunM	1kell; Wif.k;k
4	(1.2.1) ईटीआई में प्रशिक्षण	एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है । अतः उनके अभिविन्यास के लिए एक तिहाई कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आवश्यक है । प्रशिक्षण का संचालन इम्पैनेलड प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया जाता है ।	इम्पैनेलड प्रशिक्षण संस्थान वे संस्थान हैं जिनमें एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के अभिविन्यास और क्षमता निर्माण के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण की अवधि 7 दिन की है ।	प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या	
5	(2.1.1) राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों को भर्ती प्रशिक्षण प्रदान करना	भर्ती प्रशिक्षण का आयोजन युवा विकास कार्यक्रमों का संचालन करने, युवा क्लबों की स्थापना करने और सक्रियता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें एनवाईकेएस, विकास एजेंसियों और युवा क्लबों में माध्यम के रूप में कार्य करने योग्य बनाने हेतु राष्ट्रीय युवा कोर की क्षमताओं की वृद्धि के लिए किया जाता है ।	राष्ट्रीय युवा कोर की तैनाती के बाद प्रारम्भिक भर्ती प्रशिक्षण 10 दिन की अवधि का है । इसके बाद उनके कार्यकाल के दूसरे वर्ष में 5 दिन की अवधि का पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	प्रशिक्षित युवा कोर की संख्या	
6	(2.2.1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम	इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व से देशभर के युवा क्लबों के मौजूदा नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा देश में नए युवा क्लब बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है । इसका उद्देश्य स्थानीय युवा क्लबों के सदस्यों के साथ अभियानों और बैठकों का आयोजन करके युवाओं और समुदाय को जागरूक और प्रोत्साहित करना तथा युवा क्लबों के गठन में अनुभवों का आदान-प्रदान करना भी है ।	प्रत्येक कार्यक्रम 5 दिन की अवधि का है । जिसमें 10 युवा अभियानकर्ता एक टीम में सहभागी होते हैं और लगभग 50 गांव शामिल होते हैं ।	कार्यक्रमों की संख्या	यह कार्यक्रम वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया था ।

Table 4 **1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"rk rFkk iLrfor ekunM i)fr**

0-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"rk	ekunM	1kell; Wif.k;k
7	(2.2.2) युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास पर प्रशिक्षण	ग्रामीण युवाओं को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में बताना तथा हितधारकों/विषेशज्ञों और सबल व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्थानीय मुद्दों और सामाजिक मामलों को हल करने के संबंध में उनमें नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करना । इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेतृत्व के गुणों को बढ़ाना और विकास करना/सामाजिक मुद्दों को अपने स्तर पर हल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है ।	प्रत्येक कार्यक्रम 3 दिन की अवधि का है जिसमें ब्लाक स्तर पर 40 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	यह कार्यक्रम वर्ष 2013-14 में शुरू हुआ था ।
8	(2.2.3) जागरूकता और शिक्षा आधारित विषय वस्तु पर कार्यक्रम	युवा क्लब के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों, सफलता की कहानियों और अच्छे व्यवहारों के जरिए एक दूसरे से लाभान्वित होंगे को साझा करेंगे । इसे विषय वस्तु आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है । जहां सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों और उन्नतिशील एजेंसियों की उन्नतिशील स्कीमों, सुविधाओं और कार्यक्रमों पर जानकारी और सूचना प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों को आमंत्रित किया जाता है ।	प्रत्येक कार्यक्रम एक दिन की अवधि का है, जिसमें 20 गांवों से 80 युवाओं ने भाग लिया ।	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	यह कार्यक्रम वर्ष 2013-14 में शुरू हुआ था ।

[kM 4 1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"rk rFkk iLrfor ekunM i)fr

Ø-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"rk	ekunM	lkeU; Wif.k;k
9	(2.2.4) किशोर युवाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा	इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर युवाओं को स्वस्थ और सफल वयस्क जीवन जीने के योग्य बनाने के लिए, उनके सामाजिक, भावनात्मक और अन्य जीवन कौशल, का विकास करना है। जीवन कौशल दिन-प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों के साथ कुशलतापूर्वक तालमेल बैठाने की योग्यता है।	प्रत्येक कार्यक्रम 10 दिन की अवधि का गैर-आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें 40 किशोर युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।	प्रशिक्षित किए गए किशोर युवाओं की संख्या	वर्ष 2013-14 के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका।
10	(2.2.5) युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	ग्रामीण युवाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहने के साथ-साथ एक स्वस्थ मनोरंजन के माध्यम के रूप में खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रयास में एनवाईकेएस गांवों में इसके युवा क्लबों की मदद करता है और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खेल सामग्री का वितरण करता है।	चयनित युवा क्लबों को खेल सामग्री जैसे फुटबाल, वॉलीबाल, नेट आदि दिए गए हैं।	शामिल किए गए युवा क्लबों की संख्या	
11	(2.3.1) उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार वितरण	विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए सैद्धिक सेवाओं के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए युवा क्लबों को पुरस्कार दिया जाता है।	युवा क्लबों की सैद्धिक सेवाओं के योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।	युवा क्लबों की संख्या	

[कृम 4 **1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrfor ekunM i)fr**

0-1-	1Qyrk 1pdk	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	1kell; Wif.k;k
12	(3.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों का कौशल विकास	संरचनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता कौशल विकास के माध्यम से नियोजिता कौशल प्रदान करना	एनवाईसी स्वयंसेवकों को एनवाईसी स्वयंसेवक के रूप में उनका दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण के प्रति योगदान देने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है ।	प्रशिक्षित एनवाईसी स्वयंसेवकों की संख्या	
13	(3.1.2) एनसीवीटी और अन्य एजेंसियों के सहयोग से युवा क्लब सदस्यों का कौशल विकास	इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से युवा क्लब सदस्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	कौशल विकास प्रशिक्षण युवाओं को आवश्यक कौशल प्राप्त करने के योग्य बनाता है जिससे वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें ।	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	
14	(3.2.1) महिलाओं का कौशल उन्नयन	यह महिलाओं के लिए लक्षित एक विशेष कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम है । इसका प्रयास मास्टर प्रशिक्षकों/प्रतिष्ठित कौशल विकास एजेंसियों के सहयोग से रोजगार कौशल आधारित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाकर उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है ।	ये कार्यक्रम दो या तीन महीने की अवधि के हैं । प्रत्येक कार्यक्रम में 4-5 निकटवर्ती गांवों की 15-20 महिलाओं ने भाग लिया ।	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	
15	(3.2.2) पुरुषों का कौशल उन्नयन	इस कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को केवीके और अन्य संस्थानों के माध्यम से उनकी आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए कृषि और सश्रित कार्यकलापों, स्थानीय शिल्पकारिता आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है ।	यह प्रशिक्षण युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए है जिससे वे बेहतर आजीविका चलाने के योग्य बन सकें ।	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	यह नया कार्यक्रम वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किया जाना है ।

[kM 4

1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"rk rFkk iLrfor ekunM i)fr

Ø-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"rk	ekunM	1kell; Wif.k;k
16	(3.3.1) युवाओं का कौशल विकास	इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आरजीएनआईवाईडी युवाओं को अपनी आजीविका चलाने के योग्य बनाने के लिए युवा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान/की व्यवस्था करेगा ।	यह कार्यक्रम युवाओं के कौशल विकास के लिए है जिससे वे अपनी आजीविका चलाने के योग्य बन सकें और इसका प्रबंध आरजीएनआईवाईडी द्वारा किया जा रहा है ।	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	
17	(3.4.1) युवाकृति का आयोजन	इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण युवा कलाकारों को उनके काम के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक खेटफर्म उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्थानों पर एनवाईकेएस द्वारा समारोहों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है ।	यह जिला/राज्य स्तर पर आयोजित एक दिन की अवधि का कार्यक्रम है ।	आयोजित युवाकृति की संख्या	
18	(3.5.1) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संशोधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देना	यह एसस्टीपी कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए है । मूल्यांकन अध्ययन चल रहा है और यह अध्ययन जांच परिणामों/सिफारिशों पर आधारित है। संशोधित कार्यक्रम अंतिम होगा ।	यह एसस्टीपी कार्यक्रम में, चल रहे मूल्यांकन अध्ययन के जांच परिणामों पर आधारित सुधार लाने के लिए है ।	संशोधित कार्यक्रम को पूरा करने की तारीख	
19	(4.1.1) उपलब्ध सीटों की उपयोगिता	आरजीएनआईवाईडी अपने नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत युवा विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों नामतः (1) युवा सशक्तिकरण, (2) कैरियर काउंसलिंग, (3) जेंडर अध्ययन, (4) स्थानीय सरकार, (5) जीवन कौशल शिक्षा और (6) विकास अभ्यास पर 2 वर्ष की अवधि के छः स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम का आयोजन करता है ।	प्रत्येक वर्ष, 6 पाठ्यक्रमों के लिये 120 सीटें उपलब्ध हैं ।	उपलब्ध सीटों की प्रतिशतता उपयोगिता	

Table 4 **1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"rk rFkk iLrfor ekunM i)fr**

Ø-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"rk	ekunM	1kell; Wif.k;k
20	(4.1.2) प्रत्यायन प्राप्त करना (एनएएसी)	आरजीएनआईवाईडी द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए एनएएसी द्वारा उन संस्थानों का प्रत्यायन प्राप्त करने की योजना है जो देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्धारण और प्रत्यायन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक निकाय है।	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है।	जिस तारीख से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित है।	यह 2014-15 से शुरू नया सफलता सूचक है।
21	(4.2.1) प्रशिक्षित संबल कार्मिक	इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरजीएनआईवाईडी युवा विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षकों (संबल कार्मिकों) को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें एनवाईकेएसए एनएसएस, पीआरआई के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के साथ काम कर रहे पदाधिकारी शामिल हैं।	यह कार्यक्रम युवा विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षकों/संबल कार्मिकों के क्षमता निर्माण (मानव संसाधन विकास) के लिए है।	प्रशिक्षित संबल कार्मिकों की संख्या	
22	(4.3.1) प्रशिक्षित कार्मिक	यह युवा विकास और अधिकांशतः मांग आधारित अर्थात् अनुरोध/विभिन्न संस्थानों की मांग/संगठनों पर अधिकांशतः आयोजित कार्यक्रमों के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण और ऐसे संस्थानों/संगठनों द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है।	आरजीएनआईवाईडी युवा विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्मिकों (प्रशिक्षकों के अलावा) के लिए क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	

[kM 4

1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"rk rFkk iLrfor ekunM i)fr

Ø-1-	1Qyrk 1pdk	fooj.k	ifjHkk"rk	ekunM	1kell; Wif.k;k
23	(5.1.1) आयोजित किए गए शिविर	राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और विभिन्न संस्कृतियों में मेल मिलाप को प्रोत्साहित करने के लिए देश के युवाओं द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए जाते हैं। देश के विभिन्न भागों से युवाओं को एक साथ लाने के लिए और विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रीय विशिष्टताओं में मेल-मिलाप और सहिष्णुता लाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण शिविर महत्वपूर्ण साधन हैं, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवा नागरिकों में मजबूत संबंध बन सकें।	प्रत्येक राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में विभिन्न राज्यों से लगभग 150-250 युवा भाग लेते हैं। यह कार्यक्रम 5 दिन की अवधि का है।	आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों की संख्या	
24	(5.2.1) आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम	नेहरू युवा केंद्र संगठन लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर जिलों में सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करता है।	यह कार्यक्रम एक दिन की अवधि का है। प्रत्येक कार्यक्रम में विभिन्न युवा क्लबों से कम से कम 120 युवा भाग लेते हैं।	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	
25	(5.3.1) आयोजित सम्मेलन	यह ग्रामीण युवा नेताओं को अपने आपको अभिव्यक्त करने, अनुभवों और अच्छी पद्धतियों का आदान-प्रदान करने के लिए अवसर और प्लेटफार्म प्रदान करता है। यह जिला स्तरीय युवा सम्मेलनों का आयोजन करके प्राप्त किया जाता है जहां विषय विशेषज्ञों को भी ग्रामीण युवाओं के सम्मुख मुद्दों और संबंधित मामलों पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।	यह कार्यक्रम एक दिन की अवधि का है। प्रत्येक कार्यक्रम में विभिन्न युवा क्लबों से कम से कम 100 युवा भाग लेते हैं।	सम्मेलनों की संख्या	

[क] 4

1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrfor ekunM i)fr

0-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	1kell; Wif.k;k
26	(5.4.1) आयोजित राष्ट्रीय कार्यशालाएं	यह युवा यात्राओं और युवा आदान-प्रदान के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए है । इस मूल्यांकन पर आधारित इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित अतिरिक्त सुधार लागू किए जाने हैं ।	यह युवाओं जैसे राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिला युवा सम्मेलनों आदि में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों के मूल्यांकन और सुधार के लिए है ।	कार्यशालाओं की संख्या	
27	(6.1.1) आदान प्रदान दोरे (भोजना और मेजबानी)	भिन्न देशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान को युवाओं में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को समझने और शांति तथा समझबूझ को बढ़ावा देने के लिए उनकी सहभागिता को एक कारगर साधन के रूप में संकल्पित किया गया है ।	एक आदान-प्रदान दौरा में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने और विदेश से आए एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी शामिल है ।	युवा आदान-प्रदान दौरों की संख्या	
28	(6.2.1) आयोजित कार्यशाला	इस कार्यशाला का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों में अतिरिक्त सुधार लाने की दृष्टि से इन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है ।	अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं, और इस कार्यशाला का उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और उनकी प्रभावकारिता में निरंतर सुधार करना है ।	जिस तारीख को कार्यशाला आयोजित की जानी है ।	

[kM 4
1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"rk rFkk iLrfor ekunM i)fr

Ø-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"rk	ekunM	lkell; Wif.k;k
29	(7.1.1) साहसिक कार्यकलापों में युवाओं की सहभागिता	एनएसएस विभिन्न साहसिक कार्यकलापों जैसे पर्वतराहण, ट्रेकिंग आदि (जमीन पर) और जल, वायु के साथ-साथ मरुस्थल से संबंधित साहसिक कार्यों को शामिल करके स्वयंसेवकों में साहस को बढ़ावा देता है। ये कार्यकलाप स्वयंसेवकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।	साहसिक कार्यकलाप स्वयंसेवकों में साहस के लिए टीम भावना और स्नेह को बढ़ावा देने के लिए समूह कार्यकलाप के रूप में आयोजित किए जाते हैं।	सहभागियों की संख्या	
30	(8.1.1) सहभागी	गृह मंत्रालय के साथ समन्वितता की यह विभाग की पहल है। इसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से मुख्यतः जनजातीय युवाओं को सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाना है।	गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जनजातीय युवाओं के सम्मेलन देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं।	आदान-प्रदान कार्यक्रमों में जनजातीय युवा सहभागियों की संख्या	

1Qyrk 1pdk dk fooj.k o ifjHkk"rk rFkk iLrfor ekunM i)fr

[kM 4

Ø-1-	1Qyrk 1pd	fooj.k	ifjHkk"rk	ekunM	1kell; Wif.k;k
31	(8.2.1) चिन्हित बालकों के अंतर्गत स्कूल छोड़ने वाले किशोर	किशोरों में उनकी प्रजनन और यौन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके जीवन कौशल को प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाना ।	परियोजना को 5 राज्यों के चिन्हित 10 जिलों में यूएनएफपीए के सहयोग से कार्यान्वित किया जाना है । इन जिलों के 62 ब्लकों में 1860 गांव शामिल हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, टीन क्लबों का निर्माण किया जाता है और इस परियोजना के अंतर्गत विचारित कार्यक्रमों को इन क्लबों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14 से 19 वर्ष आयु-वर्ग के किशोर आते हैं ।	किशोरों की संख्या	यूएनएफपीए के कंट्री प्रोग्राम-7 (सीपी-7) को 2012-13 के दौरान बंद कर दिया गया । सीपी-8 को अंतिम रूप देने में समय लगा जिसके कारण 2013-14 के दौरान कोई भी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका । सीपी-8 को अब अंतिम रूप दिया जा चुका है । तदनुसार, 2014-15 के दौरान कार्यक्रमों को पुनः आरंभ किया जाएगा ।

[M 5
vU; foHkxxk dh foF'k"V fu"iknu vi{kk,]

fk= dk idlj	jkT;	1xBu dk idlj	1xBu dk ule	1c) 1Qyrt 1pd	b1 1xBu 1 vldh D:i vi{kk, g	bu vi{kkv d fy, vifpl;	b1 1xBu 1 vldh fdruh vi{kk, g	:fn vidh vi{kk, ijh ugh ghu r h1d D:i ifj.kk g
केंद्रीय सरकार		विभाग	उच्च शिक्षा विभाग	(1.1.2) स्व-वित्तपोषित इकाईयों से स्वयं-सेवक (एफएफयू)	विभाग और विभाग के अंतर्गत आने वाले संगठनों जैसे कि यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा एफएफयू की स्थापना के लिए शैक्षिक संस्थानों पर दबाव बनाना चाहिए ।	शैक्षिक संस्थाओं को यूजीसी / एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और इसलिए अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनका हस्तक्षेप आवश्यक है ।	विभाग / यूजीसी और एआईसीटीई को एफएफयू की स्थापना के लिए शैक्षिक संस्थाओं को निर्देश देना चाहिए ।	लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है ।
		मंत्रालय	वित्त मंत्रालय	(1.1.1) स्वयं-सेवकों द्वारा 120 घंटे कार्य करना	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(1.1.3) अपनाए गए गांवों / स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(1.2.1) ईटीआई में प्रशिक्षण	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(2.1.1) एनवाईसी स्वयं-सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करना	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

[कृम 5

वृ; फल्लखल धल फल'त"V फु"कुनु वल्ल,।

कु= धल लदल	कुत;	1xBu धल लदल	1xBu धल ले	1c) 1Qyr 1pd	b1 1xBu 1, vldh D: 1 vll, g	bu vllv d fy, vllp;	b1 1xBu 1 vldh fdruh vll, g	:fn vldh vll, ljl ugh gurl rt bld D: 1 ljl. ke g
				(2.2.1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम	वलाग के वलरलक डोजना बजट में सलडलनु आबटन कु बढलनल	अतलरकुत नलधलं के ललए बलनल डुरलवधलन कलए लकुषं कु डुरलसुत डुरडलवलत हुकुगी ।	वर्ष 2013-2014 के दुरलन आबटलत 284 कुरोड रु. कु तुलनल में वर्ष 2014-2015 में आबटलत 523.87 कुरोड	कुलर्यकुडु कु कुलर्यलनुवलत कुसुनल संडुव नहुं हुकुगल ।
				(2.2.2) युवा नेतृत्व और सुडुदलड वलकलस में डुरलकुषण	वलाग के वलरलक डोजना बजट में सलडलनु आबटन कु बढलनल	अतलरकुत नलधलं के ललए बलनल डुरलवधलन कलए लकुषं कु डुरलसुत डुरडलवलत हुकुगी ।	वर्ष 2013-2014 के दुरलन आबटलत 284 कुरोड रु. कु तुलनल में वर्ष 2014-2015 में आबटलत 523.87 कुरोड	कुलर्यकुडु कु कुलर्यलनुवलत कुसुनल संडुव नहुं हुकुगल ।
				(2.2.3) वलषड आधलरलत ऑलरुकुतल और शलकुषल कुलर्यकुडु	वलाग के वलरलक डोजना बजट में सलडलनु आबटन कु बढलनल	अतलरकुत नलधलं के ललए बलनल डुरलवधलन कलए लकुषं कु डुरलसुत डुरडलवलत हुकुगी ।	वर्ष 2013-2014 के दुरलन आबटलत 284 कुरोड रु. कु तुलनल में वर्ष 2014-2015 में आबटलत 523.87 कुरोड	कुलर्यकुडु कु कुलर्यलनुवलत कुसुनल संडुव नहुं हुकुगल ।
				(2.2.4) कुशलर युवलऑ के ललए ऑलवन कुशल शलकुषल	वलाग के वलरलक डोजना बजट में सलडलनु आबटन कु बढलनल	अतलरकुत नलधलं के ललए बलनल डुरलवधलन कलए लकुषं कु डुरलसुत डुरडलवलत हुकुगी ।	वर्ष 2013-2014 के दुरलन आबटलत 284 कुरोड रु. कु तुलनल में वर्ष 2014-2015 में आबटलत 523.87 कुरोड	कुलर्यकुडु कु कुलर्यलनुवलत कुसुनल संडुव नहुं हुकुगल ।
				(2.2.5) युवल क्लबों कु खेल सलडुगुी कु वलतरण	वलाग के वलरलक डोजना बजट में सलडलनु आबटन कु बढलनल	अतलरकुत नलधलं के ललए बलनल डुरलवधलन कलए लकुषं कु डुरलसुत डुरडलवलत हुकुगी ।	वर्ष 2013-2014 के दुरलन आबटलत 284 कुरोड रु. कु तुलनल में वर्ष 2014-2015 में आबटलत 523.87 कुरोड	कुलर्यकुडु कु कुलर्यलनुवलत कुसुनल संडुव नहुं हुकुगल ।
				(3.1.1) एनवलईसी कु कुशल वलकलस	वलाग के वलरलक डोजना बजट में सलडलनु आबटन कु बढलनल	अतलरकुत नलधलं के ललए बलनल डुरलवधलन कलए लकुषं कु डुरलसुत डुरडलवलत हुकुगी ।	वर्ष 2013-2014 के दुरलन आबटलत 284 कुरोड रु. कु तुलनल में वर्ष 2014-2015 में आबटलत 523.87 कुरोड	कुलर्यकुडु कु कुलर्यलनुवलत कुसुनल संडुव नहुं हुकुगल ।

[kM 5
vU; foHkxxk dh foF'k"V fu"iknu vi{kk,]

fk= dk idlj	jkt;	1xBu dk idlj	1xBu dk ule	1c) 1Qyrt 1pd	b1 1xBu 1 vldh D:i vi{kk, g	bu vi{kkv d fy, vifpl;	b1 1xBu 1 vldh fdruh vi{kk, g	:fn vldh vi{kk, ijh ugh ghrh rt b1d D:i ifj.kke g
				(3.1.2) युवा क्लब सदस्यों के साथ एनसीपीटी और अन्य संगठनों का कौशल विकास	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.2.1) महिलाओं का कौशल उन्नयन	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.2.2) पुरुषों का कौशल उन्नयन	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.3.1) युवाओं का कौशल विकास	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.4.1) युवा कृति का आयोजन किया गया	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(4.2.1) प्रशिक्षित किए गए सबल व्यक्ति	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

[कम 5

वृ; फलकखल धल फल'क"V फु"iknu वि'क,

क= धल idij	जक;	1xBu धल idij	1xBu धल ule	1c) 1Qyr 1pd	b1 1xBu 1. vldh D: i vi'k, g	bu vi'kvi d fy, vifpi;	b1 1xBu 1 vldh fdruh vi'k, g	:fn vldh vi'k, ijh ugh ghrh rh b1d D: i ifj. ke g
				(4.3.1) प्रशिक्षित किए गए कार्मिक	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(5.1.1) शिविरों का आयोजन किया गया	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(5.2.1) सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(5.3.1) समागम आयोजित किए गए	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(6.1.1) आदान-प्रदान दौरे (भोजना और मेजबानी)	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(7.1.1) साहसिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

;ok dk;Øe folkkx

[kM 5
vU; foHkxxk dh foF'k"V fu"iknu vi{kk,]

fk= dk idij	jkT;	lxBu dk idij	lxBu dk ule	1c) 1Qyrt 1pd	b1 lxBu 1 vldh D:i vi{kk, g	bu vi{kkv d fy, vifpi;	b1 lxBu 1 vldh fdruh vi{kk, g	;fn vldh vi{kk, ijh ugh ghrh rt b1d D:i ifj.kk g
				(8.2.1) चिन्हित ब्लाकों के अंतर्गत स्कूल छोड़ने वाले किशोर	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013-2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2014-2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
केंद्र		मंत्रालय	गृह मंत्रालय	(8.1.1) सहभागी	निधियों की स्वीकृति और जारी करने का मुद्दा	जनजातीय क्षेत्रों के भागीदारों को सरकार द्वारा संचालित मुख्य धारा के विकासोन्मुख कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के लिए होने वाले दौरों के लिए निधियों की आवश्यकता है ।	वर्ष 2014-15 के लिए 200 करोड़ रु.	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

Table 6 **folklx@e=ky; dk fu"d"l@iHko**

folklx@e=ky; dk fu"d"l @ iHko	fu"d"l @ iHko dk iHko for dju d fy, fuHufyf[ir folklx@ e=ky; d lHk l;ä : i l ftlenlj	lQyr lpd	bdlib	foYh; o"l 12@13	foYh; o"l 13@14	foYh; o"l 14@15	foYh; o"l 15@16	foYh; o"l 16@17
1 युवा छात्रों में एनएसएस के माध्यम से समुदाय सेवा की भावना उत्पन्न करना	सभी राज्य सरकारें	एनएसएस स्वयं-सेवकों का 120 घंटे कार्य करना अपनाए गए गांवों / स्लम में समुदाय सेवा	संख्या गांवों / स्लम की संख्या	3235000 13500	3255000 13600	3255000 13600	3300000 13800	3350000 13900
		स्व-वित्त पोषित इकाईयों के माध्यम से स्वयंसेवक	संख्या	107200	166100	250000	255000	260000
		एनएसएस स्वयंसेवक द्वारा किया गया रक्तदान	इकाईयां	150000	175000	200000	225000	250000
		एनएसएस स्वयंसेवक द्वारा रोपे गए पौधे	संख्या	1000000	1050000	1100000	1150000	1200000
		युवा क्लब सदस्यों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यों में स्वेच्छिक रूप से सहभाग करना	संख्या	4279989	8070327	8100000	8100000	8100000
		युवा क्लब सदस्यों द्वारा रोपे गए पौधे	संख्या	3234209	3479574	3600000	3800000	3900000
2 एनवाईएस के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में सम्मिलित युवा क्लब सदस्य		युवा क्लब सदस्यों द्वारा किया गया रक्तदान	रक्त इकाईयां	55000	75148	80000	85000	90000

[kM 6

foHkx@e=y; dk fu"d"i@iHko

foHkx@e=y; dk fu"d"i @ iHko	fu"d"i @ iHko dk iHkfor dju d fy, fuHufy[ir foHkx@ e=y; d iHk 1; ä : i 1 ftlenj	1Qyrt lpd	bdib	foHk; o"i 12@13	foHk; o"i 13@14	foHk; o"i 14@15	foHk; o"i 15@16	foHk; o"i 16@17
3 युवा रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना		एनवाईसी स्वयंसेवकों का कौशल विकास प्रशिक्षण	संख्या	4700	5700	5400	6000	6000
		महिलाओं का कौशल उन्नयन	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	80000	81000	82000	82500	83000
		युवा क्लब सदस्यों का कौशल विकास	संख्या	3575	4750	5000	5500	6000
		पुरुषों का कौशल उन्नयन	संख्या			10000	10500	11000

Table 6 **folklx@e=y; dk fu"d"l@iHko**

folklx@e=y; dk fu"d"l @ iHko	fu"d"l @ iHko dk iHko for dju d fy, fuHufy[r folklx@ e=y; d lHk l;ä : i l ftlenj	1Qyr lpd	bdib	foYh; o"l 12@13	foYh; o"l 13@14	foYh; o"l 14@15	foYh; o"l 15@16	foYh; o"l 16@17
4 युवाओं में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना		आयोजित किए गए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों की संख्या	संख्या	100	100	100	100	100
5 युवाओं में साहसिकता की भावना को विकसित करना		साहसिक कार्यों में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	संख्या	2000	2000	2000	2000	2000
6 जनजातीय युवाओं को सरकार द्वारा संचालित जनजातीय विकास और शांति तथा सद्भाव के मूल्यों का संवर्धन करने वाली विकासोन्मुख गतिविधियों को मुख्य धारा में लाना	गृह मंत्रालय	जनजातीय युवा आदान प्रदान दोनों को आयोजित करना	सहभागियों की संख्या	1000	1200	1200	1200	1200
7 ग्रामीण युवाओं को युवा क्लबों के माध्यम से खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना		युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	सम्मिलित युवा क्लबों की संख्या	15000	16000	18000	18500	19000